

**आबकारी विभाग मे भ्रष्टाचार चरम पर!!!
बिना 20 कमरों की होटल को दिया होटल बार का लाईसेंस!!**

**जबकि मिलना था रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस!!
होटल बार लाईसेंस की आड़ मे सारी रात पिलाई जाती है शराब!!**

**जबकि रेस्टोरेंट बार लाईसेंस होने पर रात 11 बजे तक ही बीयर पिलाने की अनुमति!!
होटल लाईसेंस की आड़ मे परोसी जा रही महंगी शराब!!**

जबकि रेस्टोरेंट बार लाईसेंस होने पर केवल बीयर पिलाने की होती है अनुमति!!!

पार्ट-2



भ्रष्टाचार का बटवृक्ष!! दी बिग ट्री केफे!!

**गुरुग्राम स्थित इसी क्लब मे परोसी जा रही थी, बिना आबकारी विभाग की अनुमति के शराब!!
हरियाणा के आबकारी विभाग ने की थी बड़ी कार्यवाही!!**

आबकारी विभाग के सांगानेर वृत्त मे स्थित क्लब “ दी बिगट्री केफे” का मामला!

क्या है आबकारी विभाग के सांगानेर वृत्त में स्थित आवासीय प्लॉट संख्या 8, करणी विहार कॉलोनी, अजमेर रोड पर बिना 20 कमरों की होटल के संचालित "दी बिगट्री केफे" को दिए गए होटल बार लाइसेंस का मामला?

आपको बता दें कि दिनांक 26 मई 2023 को अजमेर रोड स्थित भूखंड संख्या 8 करणी विहार कॉलोनी, अजमेर रोड पर होटल/क्लब "दी बिगट्री केफे" का उद्घाटन किया गया, इस पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई और रात भर खूब धूम-धड़ाका, आतिशबाजी और शराब पार्टी चली। इसके बाद तो यह धमाचौकड़ी लगभग हर रात की ही बात हो गई।



स्थानीय निवासियों द्वारा जब इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि इस होटल/क्लब के पास आबकारी विभाग द्वारा जारी होटल बार का लाइसेंस है, जिसके चलते ही यहाँ पर पूरी रात शराब बेची और पिलाई जाती है। स्थानीय निवासी तब हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि इस होटल में तो केवल एक बड़ा हॉल और पीछे की तरफ एक बड़ा लॉन और स्विमिंग पूल है, आबकारी विभाग के नियमानुसार 20 कमरे तो है ही नहीं, फिर कैसे इसे होटल बार का लाइसेंस देकर उपकृत किया जा रहा है?

यह मामला जब स्थानीय निवासियों द्वारा हमें बताया गया तो हमारे द्वारा इस मामले की विस्तृत पड़ताल की गई। जिसमें सामने आया कि वाकई आबकारी विभाग द्वारा BTC केफे को इस जगह पर होटल बार का लाइसेंस प्रदान किया गया है, जबकि इस होटल में 20 कमरे तो है ही नहीं। 20 कमरों के बारे में जब होटल मैनेजर से बात की गई तो उसने भी इस बात पर मोहर लगाई कि इस होटल में 20 कमरे है ही नहीं और जो है वो भी स्टाफ के काम आते हैं।

278	Retail on	Other Hotels	Jaipur City	Jaipur	Sanganer	M/S Btc Cafe
-----	-----------	--------------	-------------	--------	----------	--------------

क्यों खेला गया रेस्टोरेंट बार की जगह होटल बार का लाइसेंस देने का खेल?

आपको बता दें कि आबकारी नियमों के अनुसार, रेस्टोरेंट बार लाइसेंस होने पर ग्राहकों को महज बीयर ही सप्लाई करने की अनुमति होती है, और वह भी रात 11 बजे तक, जबकि होटल बार लाइसेंस होने पर बीयर के साथ साथ महंगी शराब भी पिलाई जा सकती है और वह भी पूरी रात। चूंकि यह होटल/क्लब जयपुर के व्यस्ततम इलाके और दिल्ली अजमेर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है, जिसके चलते पूरी रात यहाँ पर शराब पीने वालों और क्लब के नाम पर नाच-गाना करने वालों का मजमा लगा रहता है, इसी के चलते आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से साँठ-गांठ कर, यहाँ पर रेस्टोरेंट बार की जगह होटल बार का लाइसेंस हासिल किया गया।

गुरुग्राम स्थित इसी क्लब में परोसी जा रही थी, बिना आबकारी विभाग की अनुमति के शराब!! हरियाणा के आबकारी विभाग ने की थी बड़ी कार्यवाही!!

नियमों का उल्लंघन करना इस क्लब मालिक के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी इसी साल अप्रैल माह में गुरुग्राम स्थित इस क्लब के एक आउटलेट में, बिना आबकारी विभाग, हरियाणा की अनुमति के शराब बेचने का एक मामला सामने आया था। जिसमें सामने आया था कि गольफ कोर्स रोड स्थित दी बिगट्री में बिना आबकारी विभाग की अनुमति के, देर रात तक शराब परोसी जा रही है। हरियाणा की आबकारी नीति के अनुसार यदि कोई क्लब/होटल मालिक रात 2 बजे तक ग्राहकों को शराब परोसना चाहता है तो उसे L4 या L5 लाईसेंस लेने की जरूरत होती है, जिसके लिए 20 लाख रुपये अधिक जमा करवाने पड़ते हैं।

बिना पार्किंग की सुविधा के बने होटल/क्लब की दर्जनों गाड़ियां, हाईवे की स्लिप लाईन में हो रही अवैध रूप से पार्क!!

सबसे बड़ी बात यह है कि यह होटल/क्लब NH 48 अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्लिप लाईन पर बनाया गया है। बिना पार्किंग के बनी इस होटल/क्लब में आने वाले आगंतुकों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां, सड़क पर ही अवैध रूप से पार्क करवाई जाती हैं। हाँ, फर्क इतना है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए होटल मालिक ने इसे वेले-पार्किंग का नाम दे दिया गया है।

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है इस होटल/क्लब के मालिक? और क्या है उनके रसुखात?
2. आबकारी विभाग के किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस होटल/क्लब को होटल बार लाईसेंस जारी करने के समय निरीक्षण किया गया था?
3. आबकारी विभाग को दी गई जनक्री के अनुसार इस होटल/क्लब में कितने कमरे हैं और हकीकत में कितने? होटल के पास किन किन विभागों की अनुमतियाँ/एनओसी मौजूद हैं?
4. क्या इस होटल/क्लब के पास JDA से व्यावसायिक उपयोग हेतु जारी किया गया पट्टा है या फिर यह होटल/क्लब आवासीय भूखंडों पर संचालित है?
5. होटल/क्लब मालिकों द्वारा यहाँ परोसी जाने वाली महंगी शराब कहाँ से लाई जाती है?
6. क्या आबकारी विभाग इस मामले में लिप्त अधिकारियों और होटल/क्लब मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करेगा?

Haryana excise dept to crack down on liquor licence menace

By Leena Dhankhar

Apr 19, 2023 12:34 AM IST

Haryana's excise department is considering a crackdown on clubs, pubs, restaurants and other establishments operating without a liquor licence. Officials have identified around 20 facilities in Gurugram's Sector 29, Golf Course Extension Road and Golf Course Road that are operating without a licence for extended hours. To obtain a liquor licence, an establishment owner must apply for L4 and L5 licences. If the owner plans to keep the pub or bar open until 2am, an annual fee of INR20 lakh (\$27,000) is required. For those that want to stay open until 8am, an additional INR18 lakh is required.




Gurugram, India-April 18, 2023: Gurugram police raided a The Big Tree Cafe at Golf Course road for allegedly serving liquor illegally to the customers without the appropriate license and arrested the two worker, in Gurugram, India, on Tuesday, 28 April 2023. (Photo by Parveen Kumar/Hindustan Times)(Pic to go with Leena Dhankhar's story)

Gurugram: The Haryana excise department is mulling a crackdown on clubs, pubs, restaurants and other establishments that are operating without liquor licence, officials said on Tuesday.



Gurugram's favorite "The Big Tree Cafe" has now opened in Jaipur. 🥰🥰



The Famous Big Tree Cafe from Gurgaon has now spread its roots to Jaipur

